

ARBIT**You Can Only Have Whatever You Work For**

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

When you say to yourself, 'As much as I want,' what they don't tell you is two things: One, it is not as much as I 'want,' but as much as I 'can do'

Yummy Tales Of Tummy**Grandly Christened the Plastic Odyssey: A Voyage to Clean the Seas**

'ममता बनर्जी, बांग्लादेश व म्यामार के घुसपैठियों को मदद कर रही हैं, भारत में प्रवेश के लिए'

संसद में फॉरेनस विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं।

-अंजय रौय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वही दोहराया है, जो जगजाहर है।

विदेशियों से संबंधित विधेयक पर अपने जवाब में उहोंने शिकायत की है कि बांगला सरकार ने बांग्लादेश से आये घुसपैठियों तथा म्यामार से आये रोहिण्याओं को मदद कर दिये हैं। पहचान पत्र के साथ अवैध रूप से आये थे लोग पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। बांगला सरकार का व्यापार पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है तथा आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। शाह ने कहा कि यह विदेशी विधेयक (फॉरेनस बिल) लागू होने के बाद, देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों को कई स्तरों पर प्रश्नोत्तरण का तंत्र उपलब्ध करायेगा। यह विधेयक सुरक्षा-संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक खुफिया तंत्र भी उपलब्ध करायेगा।

अमित शाह ने वही बात कही है, जो हमें से ज्ञात रही है। बांगला सरकार राष्ट्र-हित के साथ धृति नहीं करती है। शाह ने कहा कि बांगला सरकार ने

राष्ट्र-हित के साथ धृति नहीं करती है। बांगला सरकार ने इसका नतीजा यह हुआ

- शाह के अनुसार, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को अस्थाई रूप से रहने व छुपने के लिये स्थान देती हैं तथा फिर आइडैंटिटी कार्ड (आधार कार्ड) मुहूर्या कराकर देश भर में फैलने का मौका देती है।
- "यह वोट बैंक बढ़ाने की रीति-नीति चौरीस साल, वामपंथी सरकार ने भी चलाई थी तथा एक विषय की नेता के रूप में ममता बनर्जी संसद में जमकर विरोध करने में सबसे आगे रहती थीं, पर, अब सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी रूपय उस रीति-नीति का अनुसरण कर रही हैं।"
- शाह ने इसी संदर्भ में संसद में यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार, सीमा पर फैसिंग करने में भी पूरी बाधाएं खड़ी करती हैं। पहले तो फैसिंग के लिए भूमि नहीं दी जाती, अगर किसी तरह फैसिंग का काम शुरू भी हो तो तृणमूल के बाहुबली, भारी विरोध करते हैं और फैसिंग का काम रोकना पड़ता है।

बांगलादेशियों और रोहिण्याओं के अवैध प्रवेश को प्रोत्साहित कर रही है। त्वरित नहीं की है। जहाँ भी बांदूर फैसिंग का लाभ के लिए यह जो किया जा रहा है, काम चल रहा था, वहाँ तृणमूल को प्रोत्साहित करता है। शाह ने कहा कि बांगला सरकार ने रुकवा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ

कि आज भारत-बांग्लादेश सरहद पर कहीं से भी घुसपैठ संभव है। लोग दूद भय मुक्त होकर बांगल में आ रहे हैं तथा सीमा से लगे इस राज्य की विधायिका प्रकृति (डेमोक्रेटिक नेचर) बदल रही है। इससे स्थानीय बंगलादेशियों के हितों को नुकसान पहुँच रहा है, जबकि घुसपैठियों, राज्य सरकार वरा तृणमूल कांग्रेस के गुन्हों की मदद से, यहाँ रहने वाले बंगलादेशियों की जमीन छीनकर अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को बसाने में उनकी मदद कर रही है।

अवैध घुसपैठियों से अपना वोट बैंक बनाने और बढ़ाने की यही रणनीति राज्य की कम्प्यूनिस्ट सरकारों ने अपनायी थी। वामपंथी मोर्चे के 34 साल के शासनकाल में, कम्प्यूनिस्टों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया था।

विडम्बना देखिये, इहाँ ममता बनर्जी, जब वे विषयी नेता थीं, ने अवैध घुसपैठियों को चुपचाप आने देने की वामपंथी मोर्चे की चाल का जोरदार विरोध किया था। उहोंने उस समय बंगाल में रहे अवैध प्रवेश का संसद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई को नहीं दी जाएगी

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने तुरीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने से इकाकर कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस अमित कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विधायिका परिषद को जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश अखिल भारतीय विधायिका परिषद को जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिया।

याचिकाओं में कहा गया था कि

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली एकीवीपी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है।

एसओजों ने पेपर लीक की बात मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए। जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महावित्ती के लिए जारी किया गया है। एसओजों को 34 साल के अन्य खण्डपीठ को सौंपे जाने के अद्देश दिए थे और उहोंने स्वयं इस मामले को सुनने के लिए असमर्थता बताई थी।

यह मामला न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खण्डपीठ के समर्थन के लिए सूचनावार्द्ध हुआ था। अदालत ने इस मामले में अवैध घुसपैठ करते हुए याचिकाओं को नियुक्त किए। उन्होंने उसके लिए 4 वर्ष की सुनवाई के लिए किया था। एसओजों ने भी मामले में जाँच की है। ऐसे में याचिकाओं को नियुक्त किए गए हैं। अदालत ने वार्षिक विधायिका परिषद को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

पदमेश मिश्रा की ए.ए.जी. पद पर नियुक्ति के विरुद्ध अपील दायर

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने इस मामले की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है।

- जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील समदिया का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादीनीति 2018 में उठाई और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पदमेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।
- नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार ने अनिवार्य बादीनीति 2018 को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

याचिकाकर्ता और ए.ए.जी. भरत व्यास को 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, सौंपे अदालत ने इस मामले की अगली वादीनीति 2018 में ए.ए.जी. घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादीनीति 2018 में पदमेश मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में पैनल लॉयड नियुक्त होने के तीन दिन के भीतर राज्यस्थान सरकार ने वादीनीति 2018 में अवैध घुसपैठ को बुलाया था। एक अवैध घुसपैठ संशोधन नहीं किए गए थे, परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को हुए थी, परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने उस मामले को सुनवाई के लिए किया था। याचिकाकर्ता ने अवैध घुसपैठ को सौंपे जाने के अद्देश दिए थे और उहोंने स्वयं इस मामले को सुनने के लिए असमर्थता बताई थी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वादीनीति 2011 में ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए अधिवक्ता का अधिवक्ता वादीनीति 2011 के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में संशोधन करते हुए याचिकाकर्ता नीति की अवैध धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए न्यूतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए